छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 97/2009

1. श्री एच0आर0 यादव, – *अपीलार्थी*
हाईकोर्ट वकील, राधिका नगर,
ब्लाक–15, प्लाट नंबर–3, श्रीवास्तव परिसर रोड़,
भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/ए0के0 यादव,* – *प्रति अपीलार्थी*
मोनेट इस्पात एवं इनर्जी लिमिटेड,
मंदिर हसौद, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 31 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एच0आर0 यादव द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/ए0के0 यादव, मोनेट इस्पात एवं इनर्जी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष दिनांक 02.09.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.10.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का भी समयावधि में निराकरण नहीं होने एवं जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.11.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा यह प्रारंभिक आपत्ति ली गई कि मोनेट इस्पात एवं इनर्जी लिमिटेड कंपनी अधिनियम के तहत् पंजीकृत एक निजी कंपनी है और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2(एच) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी की जो परिभाषा है, उसके अन्तर्गत वह नहीं आती है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है । प्रकरण में अपीलार्थी के पुत्र को मोनेट इस्पात की सेवा से पृथक करने के बारे में जो जॉच कार्यवाही हुई, उसका संपूर्ण विवरण चाहा गया था, इसके अतिरिक्त उन्होंने उनके पुत्र के सम्मान को हानि पहुॅचाने और अनुचित रूप से उन्हें सेवा से पृथक करने का तर्क लिया है । प्रति अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्क के साथ न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के एक आदेश दिनांक 17.02.2009 की प्रति भी प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा की गई पुनरीक्षण याचिका निरस्त करने का आदेश दिया गया है, जो मानहानि संबंधी प्रकरण के संबंध में पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि अपीलार्थी द्वारा श्रम न्यायालय में भी एक प्रकरण सेवा से निकाले जाने के बारे में पेश किया है, जो वहॉ विचाराधीन है । अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्कों में यह तर्क दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम निजी संस्थाओं पर भी लागू होता है और उन्होंने मोनेट इस्पात कंपनी के विरूद्ध नहीं बल्कि वहॉ के जन सूचना अधिकारी

श्री ए0के0 यादव को आवेदन दिया था और उन्हीं से जवाब लेना चाहिए, मोनेट इस्पात से नहीं, क्योंकि जवाबदारी उनकी बनती है, किन्तु उनका यह तर्क इसलिए मान्य नहीं होता है, क्योंकि यह अधिकारीगण मोनेट इस्पात के ही है और शासन के नहीं । मोनेट इस्पात चूंकि एक निजी संस्था है और उसे कोई वित्तीय सहायता शासन से प्राप्त नहीं होती है तथा अपीलार्थी द्वारा शासन की वित्तीय सहायता के बारे में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है । अतः इस संबंध में प्रति अपीलार्थी की प्रारंभिक आपत्ति अपने स्थान पर सही प्रतीत होती है और प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत यह मान्य किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम मोनेट इस्पात कंपनी पर लागू नहीं होता है । अपीलार्थी की अपने पुत्र के भविष्य और उनके सम्मान के प्रति चिंता तो समझ में आती है, किन्तु अपीलार्थी स्वयं अभिभाषक होते हुए भी इस संबंध में कुतर्कों का सहारा लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । इस संबंध में श्रम न्यायालय में चूंकि प्रकरण विचाराधीन है, अतः अपीलार्थी श्रम न्यायालय के आदेश से उस कंपनी के कागजात बुलवाकर देख सकते हैं । अतः उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी की यह अपील मान्य करने योग्य नहीं है ।

3/ अतः उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त